

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1592 / 2007 / अलवर
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
उडनदस्ता, कोटा संभाग कोटा

अपीलार्थी

मैसर्स आयशर ट्रेक्टर
अलवर

बनाम

प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक
श्री क्रान्ति मेहता
अभिभाषक
निर्णय दिनांक : 27.11.2015

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, कोटा संभाग कोटा (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर, भरतपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 316/उपा-भरत/05-06/आएसटी में पारित आदेश दिनांक 22.01.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 78 (5) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रु. 13,619/- को अपास्त किया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 24.04.1999 को वाहन संख्या आ.एस.जे.-131 को रायपुर चेक पोस्ट (झालावाड़ा) पर रोक कर चेक किया। वक्त चेकिंग वाहन लदे माल के सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर मैसर्स प्रकाश रोड लाईन्स का चालान संख्या 329969 दिनांक 23.04.1999 प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार देवास नाका से 21 बिल्टियों द्वारा 252 नग का माल परिवहनित किया जा रहा था, इसमें जी आर नम्बर 1060025 दिनांक 16.04.1999 मैसर्स मेमन कोल्हापुर के इनवॉयस नम्बर 0079 दिनांक 16.04.1999 से सिलेण्डर ब्लाक कास्टिंग नगर 10 अलवर मैसर्स आयशर ट्रेक्टर अलवर ले जाये जा रहे थे। परिवहनित माल अधिसूचित माल की श्रेणी में आने के कारण उसके साथ घोषण पत्र 18ए होना आज्ञापक था, जिसके न होने के कारण अधिनियम की धारा 78 (2) संपर्कित नियम 53 के प्रावधानों का उल्लंघन होना मानकर हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया। जारी नोटिस की पालना में प्रस्तुत उत्तर को सन्तोषप्रद नहीं मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने माल की कीमत रु. 45,398/- पर धारा 78 (5) के अन्तर्गत 30 प्रतिशत की दर से रु. 13,619/- शास्ति आरोपित करते हुए आदेश दिनांक 21.05.1999 पारित किया। उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा

अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय मैसर्स राजस्थान राज्य बनाम डी पी मेटल्स में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में आरोपित शास्ति को अपास्त कर अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.01.2007 पारित किया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.01.2007 से क्षुब्ध होकर राजस्व की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 24.04.1999 को वाहन की जांच पर वाहन में लदे माल के साथ वक्त चेकिंग परिवहनित माल के सम्बन्ध में प्रस्तुत दस्तावेज प्रस्तुत किये गये, जिनकी जांच पर पाया गया कि परिवहनित माल अधिसूचित माल की श्रेणी में आता है, जिसके साथ घोषणा प्रपत्र एस टी 18ए होना आज्ञापक है। उनका कथन है कि वक्त जांच दस्तावेजों के साथ घोषणा पत्र 18ए नहीं होने से अधिनियम की धारा 78 (2) सपठित नियम 53 के प्रावधानों का उल्लंघन होने से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जारी नोटिस की पालना में बताया गया कि घोषणा पत्र एस टी 18ए वाहन चालक फर्म पर ही भूल आया है किन्तु जवाब के साथ घोषणा पत्र एस टी 18ए पेश नहीं किये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह माना गया कि वाहन चालक घोषणा पत्र एस टी 18ए फर्म पर भूल कर नहीं आया है। उनका कथन है कि समय दिये जाने के बावजूद घोषणा पत्र एस टी 18ए प्रस्तुत नहीं किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 78 (2) सपठित नियम 53 के प्रावधानों का उल्लंघन होना मानकर माल की कीमत पर 30 प्रतिशत की दर से अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की है, जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो अविधिक होने से अपास्त योग्य है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त चेकिंग माल के सम्बन्ध में सभी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे एवं नोटिस की पालना में कर निर्धारण अधिकारी को बताया गया था कि वाहन चालक घोषणा पत्र एस टी 18ए फर्म पर ही भूल आया है, जिसको जवाब दिनांक 14.05.1999 के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो शास्ति पत्रावली के पेज 15 पर उपलब्ध है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश दिनांक 21.05.1999 को पारित किया गया है जबकि घोषणा पत्र एस टी 18ए संख्या 920731 दिनांक 14.05.1999 को प्रस्तुत किया गया है, जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 21.05.1999 अंकित की गई है।

उन्होंने कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपने अपीलाधीन आदेश में माननीय उच्चतम न्यायालयके न्यायिक दृष्टान्त का हवाला देते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त किया है,जिसमें किसी प्रकार की कोई अविधिकता नहीं है। उन्होंने उक्त कथन के अतिरिक्त के उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात आरोपित शास्ति को अपास्त किया है,जो पूर्णतः उचित है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में अपीलीय अधिकारी के स्तर पर उद्घरित न्यायिक दृष्टान्तों के अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के हालिया निर्णय मैसर्स सेरा टेक इण्डिया बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, भिवाडी 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 35 पर्ट-2 पेज 49 एवं मैसर्स हीरामनी फूड प्रोडक्ट्स, किशनगढ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, बांसवाडा एवं अन्य 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 36 पार्ट 2 पेज 37 में प्रकाशित निर्णयों को आधार बनाते हुए अभिवाक् किया कि उक्त दोनों निर्णयों में राजस्थान राज्य बनाम मैसर्स डी पी मेटल्स के प्रकरण में जो सिद्धान्त अवधारित किया है कि वह इस प्रकरण में भी पूर्णतः लागू होते हैं। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को उचित बताते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से प्रकट होता है कि दिनांक 24.04.1999 को वाहन संख्या आ.एस.जे.-131 को रायपुर चेक पोस्ट (झालावाडा) पर रोक कर चेक किया। वक्त चेकिंग वाहन लदे माल के सम्बन्ध में दस्तावेज मांगे जाने पर मैसर्स प्रकाश रोड लाईन्स का चालान संख्या 329969 दिनांक 23.04.1999 प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार देवास नाका से 21 बिल्टियों द्वारा 252 नग का माल परिवहनित किया जा रहा था, इसमें जी आर नम्बर 1060025 दिनांक 16.04.1999 मैसर्स मेमन कोल्हापुर के इनवॉयस नम्बर 0079 दिनांक 16.04.1999 से सिलेण्डर ब्लाक कास्टिंग नगर 10 अलवर मैसर्स आयशर ट्रेक्टर अलवर ले जाये जा रहे थे। परिवहनित माल अधिसूचित माल की श्रेणी में आने के कारण उसके साथ घोषण पत्र 18ए होना आज्ञापक था,जिसके न होने के कारण अधिनियम की धारा 78 (2) सप्तित नियम 53 के प्रावधानों का उल्लंघन होना मानकर हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया। जारी नोटिस की पालना में बताया गया कि घोषणा पत्र एस टी 18ए वाहन चालक फर्म पर ही भूल आया है किन्तु जवाब के साथ घोषणा पत्र एस टी 18ए पेश नहीं किये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह माना गया कि वाहन चालक घोषणा पत्र एस टी 18ए फर्म पर भूल कर नहीं आया है। जारी नोटिस की पालना में प्रस्तुत उत्तर को सन्तोषप्रद नहीं मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने माल की कीमत रु. 45,398/- पर धारा 78 (5) के अन्तर्गत 30

2

प्रतिशत की दर से रु. 13,619/-शास्ति आरोपित करते हुए आदेश दिनांक 21.05.1999 पारित किया ।

उक्त सन्दर्भ में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उद्धृत निर्णयों पर विचार किया जाना समीचीन होगा। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स सेरा टेक इण्डिया बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, भिवाड़ी 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 35 पार्ट-2 पेज 49 के प्रकरण में पारित निर्णय के सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है :—

"M/s Cera Tech India Vs Asstt. Commercial Taxes Officer, Bhiwadi, 2013 Tax-Up Date (35) Part-2, Page 49, considered this issue and held as under :—

The Hon'ble Supreme Court of India in case of D.P. Metals (supra) has categorically held that on show cause notice with regard to alleged contravention/deficiency found in respect of goods in transit, if the deficiency/contravention is removed, with the filing of the requisite document by the assessee imposition of penalty ought to be eschewed. In the instant case if is not in dispute that form VAT 47 was furnished to ACTO, who checked the vehicle with the reply to show cause notice on the very same day. That being the position, there is no escape from the inevitable conclusion that the petitioner assessee could not have been found in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act. Other documents such as invoice and transport receipt were also by themselves indicative of the bonafides of the transit of goods. Following the judgment in case of D.P. Metals (supra), I am of the considered view that at the first instance on the very same day the petitioner assessee having furnished Form VAT-47 to ACTO, and the petitioner could not have been found to be in contravention of Section 76(2)(b) of the RVAT Act or visited with penalty under Section 76(6) of the RVAT Act."

उपरोक्त सन्दर्भ में मैसर्स हीरामनी फूड प्रोडक्ट्स, किशनगढ़ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता बांसवाड़ा 2013 टैक्स अप डेट वाल्यूम 36 पार्ट 2 पेज 37 में प्रकाशित प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा घोषणा पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :—

"The fact remains that in the present case the assessee even furnished the declaration form in VAT-47 on the very next date of giving of notice on 5.3.2009 i.e. on 6.3.2009. There is no finding in the impugned order passed by the assessing authority on 6.3.2009 itself that such declaration form or bills or bilties already found with the transit on 5.3.2009 are false, forged or unreliable in any manner. In these circumstances, the imposed penalty cannot be found to be justified."

".....On the other hand, the different benches of this Court, consistently held that in such circumstances where declaration forms are furnished immediately upon giving of notice to the assessee, unless the same are found to be false and forged, the penalty can not be sustained. In the case of ACTO vs M/s Tata Iron and Steel company Ltd. (supra), the coordinate bench of this Court held as under."

"It is very clear that though the provisions of Section 78(5) of the Act, have been held to be just, proper and valid but it is not automatic, the principles of natural justice, demand an opportunity to be given to rebut and if the documents are produced then the benefit of producing the documents ought to have been given to the assessee and no penalty should have been imposed. Therefore, the aforesaid judgment of the Hon'ble Apex Court is squarely applicable in the facts and circumstances of the present case."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78 (5) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति उचित नहीं है।

प्रकरण के तथ्यों एवं उपलब्ध रेकार्ड से स्पष्ट है कि नोटिस के जवाब के साथ घोषणा पत्र एस टी 18ए प्रस्तुत किया गया है। उक्त तथ्यों के होने पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश के अवलोकन पर स्पष्ट है कि उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय राजस्थान राज्य बनाम मैसर्स डी.पी.मेटल्स के परिपेक्ष्य में आरोपित शास्ति को अपास्त किया है, जिसमें किसी प्रकार की अविधिकता नजर नहीं आती है। फलस्वरूप अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.01.2007 को यथावत रखते हुए राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(सुनील शर्मा)
सदस्य